रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 448] नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938
No. 448] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASHADHA 8, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सा.का.नि. 639(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 73 और धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (जिसे यहाँ इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ग) में, -

(i) उपखंड (ix) में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखे जाएँगे;

(ii) उपखंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ixअ) कंपनी के आस्तियों पर प्रभारित नहीं होने वाले और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए लागू विनियमों के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके उगाही गई कोई राशि।"

IndiaCode

(iii) उपखंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"(xi) न्यास में प्राप्त और रखी गई कोई ब्याज रहित राशि;"

(iv) उपखंड (xii) में,

(अ) मद (घ) के पश्चात् और परंतुक से पहले निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(ङ) लिखित करार या व्यवस्था के अनुसार भावी सेवाएँ वारंटी अथवा अनुरक्षण संविदा के रूप में उपलब्ध कराने के लिए विचारार्थ अग्रिम के रूप में, यदि ऐसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए अवधि ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से सामान्य कारबार व्यवहार के अनुसार प्रचलित अवधि अथवा पांच वर्ष से अधिक नहीं हो, जो भी कम हो;

(च) किसी क्षेत्रीय विनियामक द्वारा यथा अनुमत अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार और अग्रिम के रूप में प्राप्त;

(छ) प्रकाशन के लिए अंशदान हेतु अग्रिम के रूप में, चाहे मुद्रण या इलेक्ट्रानिक, जिसे ऐसे प्रकाशन की प्राप्ति के लिए समायोजित किया जाना है;"।

(आ) विद्यमान स्पष्टीकरण में, "परंतुक में संदर्भित" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(v) उपखंड (xiv) के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण में, "को जमा माना जाएगा" शब्दों के लिए "को जमा समझा जाएगा जब तक कि इस खंड के अधीन विशिष्ट रूप से इसे अलग नहीं माना गया हो" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) उपखंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(xv) चिटफंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) के अधीन किसी चिट के संबंध में अंशदान के माध्यम से प्राप्त कोई राशि;

(xvi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुपालन में किसी सामूहिक निवेश स्कीम के अधीन कंपनी द्वारा प्राप्त कोई राशि;

(xvii) किसी व्यक्ति से संपरिवर्तनीय टिप्पण के माध्यम से (साम्या शेयरों में संपरिवर्तनीय अथवा जारी होनी की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पुनर्भुगतेय) किसी 'स्टार्टअप कंपनी' द्वारा एकमुश्त प्राप्त की गई पच्चीस लाख रुपए या उससे अधिक की कोई राशि।

स्पष्टीकरण: इस उपखंड के प्रयोजन के लिए –

I. 'स्टार्टअप कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 180(अ) तारीख 17 फरवरी, 2016 के अनुसार इस रूप में मान्यता प्राप्त कोई प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है;

II. 'संपरिवर्तनीय टिप्पण' से प्रारंभिक तौर पर ऋण के रूप में कोई राशि की रसीद का लिखत अभिप्रेत है जो धारक के विकल्प के अनुसार पुनर्भुगतेय है अथवा विनिर्दिष्ट घटनाओं के होने पर स्टार्टअप कंपनी के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या में संपरिवर्तनीय है और लिखत में सहमत हुए और दर्शाए गए अन्य निबंधनों और शर्तों के अनुसार संपरिवर्तनीय है।

"(xviii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार और उसके पास रजिस्ट्रीकृत वैकल्पिक निवेश निधि, देशी जोखिम पूंजी और पारस्परिक निधि से किसी कंपनी को प्राप्त कोई राशि।"

3. मूल नियम के नियम 3 में,

(i) उपनियम (3) में,

IndiaCode

(क) "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पैंतीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"परंतु कोई प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों से अपनी प्रदत्त शेयरपूंजी, मुक्त निक्षेप और प्रतिभूति प्रीमियम खाता के सकल के शत प्रतिशत से अनधिक राशि स्वीकार कर सकती है और ऐसी कंपनी इस प्रकार स्वीकार की गई राशि के ब्यौरे यथाविनिर्दिष्ट रीति में रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।"।

(ii) उपनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(8).- (क) प्रत्येक पात्र कंपनी वर्ष में कम से कम एक बार इसके द्वारा अभिप्राप्त किए गए जमा के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगी और ऐसी रेटिंग की एक प्रति प्ररूप डीपीटी-3 में जमा की विवरणी के साथ कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी सार्वजनिक जमा की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 1998 में गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए यथाविनिर्दिष्ट किसी एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग अभिकरण से नियत जमा के लिए न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग अथवा अन्य विनिर्दिष्ट क्रेडिट रेटिंग से नीचे का नहीं होना चाहिए।"

4. मूल नियम के नियम 4 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्-

"(2) जमा आमंत्रित करने के लिए आशायित प्रत्येक पात्र कंपनी इस प्रयोजन के लिए प्ररूप डीपीटी-1 में विज्ञापन के रूप में एक परिपत्र पूरे देश में परिचालन वाले किसी अंग्रेजी समाचार-पत्र में अंग्रेजी भाषा में, और कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वाले राज्य में व्यापक परिचालन वाले उस प्रांत की भाषा के एक प्रांतीय समाचार-पत्र में उस प्रांत की भाषा में जारी करेगी और ऐसे परिपत्र को कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी रखेगी।"।

5. मूल नियम के नियम 5 के उपनियम (1) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्-

"परंतु कंपनियां 31 मार्च, 2017 तक अथवा किसी जमा बीमा उत्पाद की उपलब्धता तक, जो भी पहले हो, बिना जमा बीमा संविदा के जमा स्वीकार कर सकती हैं।"

6. मूल नियम के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"16अ. वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण.- (1) प्रत्येक कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी के सिवाय, टिप्पण द्वारा अपने वित्तीय विवरण में निदेशकों से प्राप्त धन का प्रकटीकरण करेगी; और

(2) प्रत्येक प्राइवेट कंपनी टिप्पण द्वारा अपने वित्तीय विवरण में निदेशकों अथवा निदेशकों के संबंधियों से प्राप्त धन का प्रकटीकरण करेगी।"

7. मूल नियम के उपाबंध में प्ररूप डीपीटी-1 के अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"6. दावात्याग.- यह स्पष्ट रूप से समझा जाए कि रजिस्ट्रार के पास परिपत्र अथवा विज्ञापन के प्ररूप में परिपत्र फाइल करने को यह न माना जाए कि उसे रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृति अथवा अनुमोदन दिया गया है। रजिस्ट्रार अथवा केंद्रीय सरकार की किसी जमा स्कीम की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए, जिसके लिए जमा स्वीकार या आमंत्रित की गई है अथवा परिपत्र अथवा विज्ञापन के प्ररूप में परिपत्र में दिए गए विवरणों या मतों की सत्यता के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जमाकर्ता जमा स्कीमों में निवेश करने से पूर्व पूरी सतर्कता बरतें।"

[फा. सं. 1/8/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

IndiaCode

टिप्पणी. – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. 386(अ) तारीख 06 जून, 2014, सा.का.नि.संख्या 241(अ) तारीख 31 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 695(अ) तारीख 15 सितंबर, 2015 द्वारा इसमें बाद में संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2016

G.S.R. 639(E).—In exercise of the powers conferred by sections 73 and 76 read with sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:—

(1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c),-

(i) in sub-clause (ix), for the words "five years" the words "ten years" shall be substituted;

(ii) after sub-clause (ix), the following sub-clause shall be inserted, namely,-

"(ixa) any amount raised by issue of non-convertible debenture not constituting a charge on the assets of the company and listed on a recognised stock exchange as per applicable regulations made by Securities and Exchange Board of India.";

(iii) for sub-clause (xi), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(xi) any non-interest bearing amount received and held in trust;";

(iv) in sub-clause (xii),-

(A) after item (d) and before the proviso, the following items shall be inserted, namely:-

"(e) as an advance towards consideration for providing future services in the form of a warranty or maintenance contract as per written agreement or arrangement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less;

(f) as an advance received and as allowed by any sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government;

(g) as an advance for subscription towards publication, whether in print or in electronic to be adjusted against receipt of such publications; ".

(B) in the Explanation, the words "referred to in the proviso" shall be omitted;

(v) in the Explanation, after sub-clause (xiv), for the words "shall be treated as deposits", the words "shall be considered as deposits unless specifically excluded under this clause" shall be substituted;

(vi) after sub-clause (xiv), the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

(xv) any amount received by way of subscription in respect of a chit under the Chit Fund Act, 1982 (40 of 1982);

(xvi) any amount received by the company under any collective investment scheme in compliance with regulations framed by the Securities and Exchange Board of India;

(xvii) an amount of twenty five lakh rupees or more received by a start-up company, by way of a convertible note (convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding five years from the date of issue) in a single tranche, from a person.

***Explanation*.-** For the purposes of this sub-clause,-

I. "start-up company" means a private company incorporated under the Companies Act, 2013 or Companies Act, 1956 and recognised as such in accordance with notification number G.S.R. 180(E) dated 17th February, 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry;

II. "convertible note" means an instrument evidencing receipt of money initially as a debt, which is repayable at the option of the holder, or which is convertible into such number of equity shares of the start-up company upon occurrence of specified events and as per the other terms and conditions agreed to and indicated in the instrument.

(xviii) any amount received by a company from Alternate Investment Funds, Domestic Venture Capital Funds and Mutual Funds registered with the Securities and Exchange Board of India in accordance with regulations made by it.".

3. In Rule 3 of the Principal rules,-

(i) in sub-rule (3),-

(a) for the words "twenty five per cent.", the words "thirty five per cent." shall be substituted;

(b) the following proviso shall be inserted namely:

"Provided that a private company may accept from its members monies not exceeding one hundred per cent of aggregate of the paid up share capital, free reserves and securities premium account and such company shall file the details of monies so accepted to the Registrar in such manner as may be specified.".

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8).- (a) Every eligible company shall obtain, at least once in a year, credit rating for deposits accepted by it and a copy of the rating shall be sent to the Registrar of Companies alongwith the return of deposits in Form DPT-3.

(b) The credit rating referred to in clause (a) shall not be below the minimum investment grade rating or other specified credit rating for fixed deposits, from any one of the approved credit rating agencies as specified for Non-Banking Financial Companies in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time."

4. In rule 4 of the principal rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every eligible company intending to invite deposits shall issue a circular in the form of an advertisement in form DPT-1 for the purpose in English language in an English newspaper having country wide circulation and in vernacular language in a vernacular newspaper having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated, and shall also place such circular on the website of the company, if any.".

5. In rule 5 of the principal rules, in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that the companies may accept deposits without deposit insurance contract till the 31st March, 2017 or till the availability of a deposit insurance product, whichever is earlier.".

6. After rule 16 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:-

"16A. Disclosures in the financial statement.- (1) Every company, other than a private company, shall disclose in its financial statement, by way of notes, about the money received from the director.

(2) Every private company shall disclose in its financial statement, by way of notes, about the money received from the directors, or relatives of directors.".

7. In the principal rules, in the Annexure, in Form DPT-1, the following para shall be inserted, namely:-

"6. DISCLAIMER.- It is to be distinctly understood that filing of circular or circular in the Form of advertisement with the Registrar should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by the Registrar or Central Government. The Registrar or Central

Government does not take any responsibility either for the financial soundness of any deposit scheme for which the deposit is being accepted or invited or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the circular or circular in the Form of advertisement. The depositors should exercise due diligence before investing in the deposits schemes.".

[F. No. 1/8/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended vide number G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014, G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015 and G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015.

IndiaCode

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.